

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
(574, साउथ सिविल लाईन्स)

// आदेश //

क्रमांक फा.नं. 34/स्था./राविसेप्रा/3616/2024 जबलपुर, दिनांक 23/09/2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रोजगार और निर्माण, समाचार पत्र में दिनांक 5.2.2024 से 11.2.2024 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार ली गई साक्षात्कार परीक्षा में आदेश तामीलकर्ता के पद पर चयनित (सारिणी अनुसार) अभ्यर्थियों को सातवे वेतनमान के अनुसार वेतनमान 15500-49000/- एव समय-समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त किया जाता है।

परीक्षा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13 /2019 /3/ एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अधीन भृत्य वेतनमान 15500-49000 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टापेंड के रूप में देय होगा।

सारिणी

स.क्र.	रोल नं.	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पता
1	2	3	4
01	1668	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा पिता श्री दिवाकर मिश्रा	136 पार्वती नगर महावली शिव मन्दिर के पास कोलार रोड भोपाल
02	1438	श्री कमल किशोर सविता पिता श्री वंशीलाल	ग्राम जाफराबाद जौरा जिला मुरैना
03	4182	सुश्री कविता चौहान पिता श्री अशोक चौहान	भोज मार्ग झाबुआ जिला झाबुआ
04	2185	श्री विजेन्द्र कुमार बिरहा पिता श्री प्रकाश बिरहा	मकान नं. 767 बेलबाग टोरिया घमापुर जबलपुर
05	2509	सुश्री अनिता बाई खंगार पिता श्री प्रेमनारायण खंगार	शास्त्री वार्ड नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर
06	4171	सुश्री सुधा बैगा पिता श्री रामखिलावन बैगा	ग्राम पचाडी गोरैया टोला पोस्ट सिंदुरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल
07	2662	श्री मनोज कुमार पाण्डेय पिता श्री शिवदयाल पाण्डेय	ग्राम नादना पोस्ट जैतवारा जिला सतना
08	2877	श्री विकास श्रीवास्तव पिता श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	ए 3/63 आवास नगर देवास

अभ्यर्थीगण को पदभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05/10/2024 दी जा रही है। वे उक्त तिथि या इसके पूर्व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में पदभार ग्रहण करेंगे।

शर्तें:-

- 1- यह कि वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- 2- नियुक्त कर्मचारी राज्य/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकरण के प्रति पूर्णरूप से सनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण रहेगा।
- 3- यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं की मूल प्रतियों को साथ में लेकर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यतायें धारण नहीं करता है, तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
- 4- यह कि उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना 2005 लागू होगी।

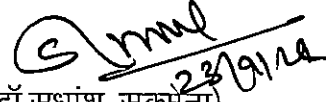
- 5— यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- 6— अन्य विभाग में शासकीय पदों से सम्बन्धित परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आवेदन देने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा। चयनित अभ्यर्थी बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 7— यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 8— यह कि उनकी सेवायें राज्य प्राधिकरण के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और वे यदि सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- 9— यह कि, आरक्षित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी जिन्हें उनके द्वारा जाति संबंधी प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है, उसका सत्यापन कराया जावेगा। यदि सत्यापन उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी या कूट रचित पाये गये अथवा यह पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें वर्ग विशेष के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं था तो नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 10— यह कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 05/10/2024 तक अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई तिथि तक आवश्यक रूप से पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 11— अभ्यर्थी को लिखित रूप में अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों की लिखित स्वीकृति जो दो साक्षियों के द्वारा अनुमाणित हो प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
- 13— इन नियुक्तियों के लिये म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।
- 14— नियुक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश राज्य शासन एवं राज्य प्राधिकरण के नियम एवं समय-समय पर प्रसारित निर्देश/आदेश लागू होंगे।

Sd-
(रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन)
सदस्य-सचिव

पृ.क. फा.नं. 34/स्था0/राविसेप्रा03616/2024 जबलपुर, दिनांक 23/09/2024
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (द्वितीय) मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उपस्थिति/वेतन लिपिक, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा पिता श्री दिवाकर मिश्रा, मकान नं.136 माँ पार्वती नगर महावली शिव मन्दिर के पास कोलार रोड भोपाल म.प्र.की ओर,

7. श्री कमल किशोर सविता पिता श्री वंशीलाल, जाफराबाद जावरा जिला मुरैना म.प्र. की ओर ,
8. सुश्री कविता चौहान पिता श्री अशोक चौहान, भोजमार्ग झाबुआ जिला झाबुआ म.प्र.की ओर,
9. श्री विजेन्द्र कुमार बिरहा पिता श्री प्रकाश बिरहा, मकान नं. 767 बेलबाग टोरिया, घमापुर जबलपुर म.प्र. की ओर
10. सुश्री अनिता बाई खंगार पिता श्री प्रेमनारायण खंगार, शास्त्री वार्ड, नरसिंहपुर म.प्र.की ओर,
11. सुश्री सुधा बैगा पिता श्री रामखिलावन बैगा पचाडी गोरैया टोला, पोस्ट सिन्दुरी, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र. की ओर,
12. श्री मनोज कुमार पाण्डेय पिता श्री शिवदयाल पाण्डेय, ग्राम नादना पोस्ट जैतवारा जिला सतना म.प्र. की ओर,
13. श्री विकास श्रीवास्तव पिता श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, ए-3/63 आवास नगर देवास म.प्र. की ओर, पालनार्थ।
14. आई.टी.असिस्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर वैबसाइट में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु।
15. कार्यालय प्रति।


(डॉ. सुधांशु सक्सेना)
अतिरिक्त सचिव